

छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 492002

क्रमांक/ 1282 /कृ.आ.व्य./2016-17/14-2 रायपुर, दिनांक 14/03/2024

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव  
समस्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
2. समस्त संभागायुक्त, छ.ग.।
3. समस्त कलेक्टर, छ.ग.।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छ.ग.।

विषय :- ई-कृषि पोर्टल के माध्यम से भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) के परिशिष्ट-2 में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय किये जाने बाबत।

—00—

छ.ग. शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2022) के नियम 3.2 में यह प्रावधानित है, कि ऐसी वस्तुएं जो परिशिष्ट -2 में उल्लेखित है, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा किया जायेगा तथा विभागों द्वारा परिशिष्ट-2 में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा निर्धारित दरों एवं शर्तों के अंतर्गत राज्य के ऑनलाईन पोर्टल से सीधे किया जा सकेगा।

2/ उपरोक्त प्रावधान के परिपालन में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा आर.सी.ओ. के माध्यम से किये जाने वाले व्यवसाय के दृष्टिगत ऑनलाईन पोर्टल "ई-कृषि" तैयार किया गया है तथा छ.ग. शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2022) के परिशिष्ट-2 में उल्लेखित सामग्रियों के आपूर्ति की पूर्ववर्ती ऑफलाईन व्यवस्था को बंद कर ऑनलाईन ई-कृषि पोर्टल प्रारंभ किया गया है।

कृपया भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) के परिशिष्ट-2 में उल्लेखित वस्तुओं की मांग/क्रय ऑनलाईन ई-कृषि पोर्टल के माध्यम से करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(शहला निगार)

कृषि उत्पादन आयुक्त  
छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमशः ...2...

पृष्ठां. क्र./ 1283 / कृ.आ.व्य./2016-17/14-2 रायपुर, दिनांक 14/03/2024

1. मान. मुख्यमंत्री जी के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग. शासन।
  2. मान. मंत्रीजी के विशेष सहायक, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छ.ग. शासन।
  3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
  4. संचालक कृषि, छ.ग., रायपुर।
  5. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग., रायपुर।
  6. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, छ.ग. रायपुर।
  7. संचालक, मछली पालन विभाग, छ.ग. रायपुर।
  8. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर।
  9. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर।
  10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, रायपुर।
  11. संचालक, छ.ग. राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, (समेती), छ.ग. रायपुर।
  12. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।
  13. कुल सचिव, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग।
- (क्र. 4 से 13 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।)

कृषि उत्पादन आयुक्त  
छत्तीसगढ़ शासन  
कृषि विकास एवं किसान कल्याण  
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग